# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 32/2020 रा0रा0अ0

1. श्रीमती भूली बेवा रामस्वरूप
2. रामोतार पुत्र रामस्वरूप
3. छुटटन लाल पुत्र रामस्वरूप
4. धर्मसिंह पुत्र रामस्वरूप
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम चूडियावास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज0

...प्रार्थीगण

बनाम

1. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रावत पैलेस होटल के पीछे, दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956

उपस्थित– 1. श्री अशोक बटवाल, अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष की ओर से
2. श्री अभिनव जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 की ओर से
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से

दिनांकः 02.12.2022

## निर्णय

(प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 152 सीपीसी 73/2022)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा प्रार्थीगण की भूमि वाके ग्राम चूडियावास के पारित संरचना अवार्ड में भूमि खसरा नंबर 368/1040 में बनी हुई पाटोलपोश रसोई का मुआवजा अवार्ड पारित नहीं किया। उक्त पारित अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर इस न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 04.01.2022 निर्णय पारित किया जा चुका है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सीपीसी पेश किया जाकर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.1.2022 में अन्तिम पैराग्राफ में अंकित खसरा नंबर 368/1039 के स्थान पर खसरा नंबर 368/1040 दुरूस्त करने हेतु पेश किया गया। प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 152 सीपीसी दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व इस न्यायालय की मूल पत्रावली शामिल की गई। अधिवक्ता [illegible] की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रा.पत्र में अंकित त[illegible] दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मा[illegible] प्रार्थीगण की रसोई जो कि खसरा नंबर 368/1040 में स्थित थी की मुआवजा राशि बाबत प्रस्तुत किया जिसका विधिवत निस्तारण माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 4.1.2022 को किया जा चुका माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में भी खसरा नंबर 368/1040 के बाबत ही करते हुए प्रार्थीगण

निरन्तर ...2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 18:10:56 IST
Reason: SelfAttested

की रसोई का अवार्ड पारित न किये जाने के कारण विपक्षीगण को अवार्ड पारित किये जाने बाबत आदेशित किया है, किन्तु सहवनवश माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के आखिरी पैराग्राफ में 368/1040 के स्थान पर 368/1039 अंकित हो गया है। विपक्षी द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय में सहवनवश हुई भूल के कारण उसको आधार बनाते हुए माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय दौसा के समक्ष अंतर्गत धारा 34 मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम के तहत आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे प्रार्थीगण को गंभीर अपूरणीय क्षति की प्रबल संभावना है। उक्त खसरा नंबर 368/1040 के स्थान पर 368/1039 सहवन से अंकित हुआ है। अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय न्यायालय के अंतिम पैराग्राफ में अंकित खसरा नंबर 368/1039 के स्थान पर 368/1040 दुरूस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं.1 की ओर से दलील दी है कि माननीय न्यायालय ने निर्णय में अंकित किया है कि प्रार्थीगण की पाटोलपोश रसोई जो कि खसरा नंबर 368/1039 में स्थित है, का पुनः सक्षम ऐजेन्सी से सर्वे कराकर अवाप्ताधीन भूमि पर निर्मित रसोई की संरचना का पुनः अवार्ड पारित करें। अधिवक्ता अप्रार्थी सं01 की दलील है कि खसरा नंबर 368/1039 में स्थित संरचना डीबी 477 आरएचएस का मुआवजा सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पूर्व में ही पारित किया जा चुका है, जिसकी कुल मुआवजा राशि 22,39,920/–रू. भूली पत्नि रामस्वरूप मीना, जगदीश पुत्र कुन्जा मीना, रामकरण पुत्र हरपाल मीना द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। खसरा नंबर 368/1040 में प्रार्थीगण की कोई रसोई अंकित नहीं है व खसरा नंबर 368/1040 पर स्थित संरचना का डीबी 488 एलएचएस कन्हैयालाल पुत्र रामलाल मीना की है जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय के अनुसार मुआवजा राशि कन्हैयालाल द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया था वह तहसीलदार नांगल राजावतान की रिपोर्ट के अनुसार किया गया है तथा तहसीलदार नांगल राजावतान की जांच रिपोर्ट में प्रार्थीगण की कोई रसोई खसरा नंबर 368/1040 में नहीं होना बताया जाकर प्रार्थीगण की रसोई खसरा नंबर 368/1039 में होना बताया गया है जिसकी मुआवजा राशि प्रार्थीगण प्राप्त कर चुके है। अब प्रार्थीगण गलत तथ्यों के आधार पर राष्ट्रीय राशि को गमन करने की नीयत से उक्त प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह तहसीलदार नांगल राजावतान की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की सहवनवश गलती नहीं हुई है। तहसीलदार नांगल राजावतान व अन्य किसी भी सक्षम ऐजेन्सी द्वारा किसी भी अवार्ड में व किसी भी आदेश में प्रार्थीगण की रसोई खसरा नंबर 368/1040 में नही होना पाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय दौसा के समक्ष जो प्रार्थना पत्र अ.धारा 34 मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम के तहत राष्ट्रीय राशि के नुकसान के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:10:56 IST
Reason: SelfAttested

निरन्तर ...3 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न निर्णय दिनांक 04.01.2022 का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थीगणकी पाटोलपोश रसोई खसरा नंबर 368/1039 में है का पुनः सक्षम एजेन्सी से सर्वे कराकर आप्ताधीन भूमि पर निर्मित रसोई की संरचना का अवार्ड पारित करने के निर्देश प्रदान किये थे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र में उक्त रसोई को खसरा नंबर 368/1040 में स्थित होना बताकर अनुतोष चाहा गया था। पत्रावली में भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान की रिपोर्ट दिनांक 30.3.2021 का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थीगण की रसोई को खसरा नंबर 368/1039 में स्थित होना बताया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.1.2022 में भी प्रार्थी की रसोई खसरा नंबर 368/1039 में ही बताई जाकर निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी की रसोई खसरा नंबर 368/1040 में जिसका मुआवजा प्रार्थी द्वारा चाहा गया है किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है। खसरा नंबर 368/1040 पर स्थित संरचना का डीबी 488 एलएचएस कन्हैयालाल पुत्र रामलाल मीना की है जिसमें अवाप्त संरचना का मुआवजा खातेदार को भुगतान किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा अनुचित आधारों पर खसरा नंबर 368/1040 में स्थित रसोई के मुआवजे की मांग की जा रही है, जिसे हम खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 152 सीपीसी की पत्रावली सं. 32/2020 में शामिल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:10:56 IST
Reason: SelfAttested